भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs 10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs 10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL 607743

विक्रय विलेख का वांछित विवरण

1. विलेख पत्र का प्रकार:- विक्रय पत्र
2. प्रतिफल :- रू0 83,85,786-00(तिरासी लाख पिचासी हजार सात सौ छियासी रूपये)
3. बाजारी मालियत :- रू0 83,85,786-00(तिरासी लाख पिचासी हजार सात सौ छियासी रूपये)

Jagdish Singh Chauhan
Advocate
B.Sc. LL.B.
Regd. No. ...
Civil Court, Roorkee

आनन्द पाल सिंह

आनन्द पाल सिंह

Jagdish Singh
B.Sc. LL.B.
Regd. No. ...
Civil Court, Roorkee

292 ... 23/7/00

10,000 ... कैम्प

[illegible]

सुरेश चन्द [illegible]

समायोजन प्रमाण-पत्र

इस लेखपत्र ... में देय स्टाम्प

ड्यूटी रु० ... रु० ...

जो निर्धारित [illegible] ... 10,000

... में [illegible] ड्यूटी रु० ...

[illegible] स्टाम्प ड्यूटी को

[illegible] रु० ...

[illegible] कर लिया गया।

[illegible] रुड़की जिला हरिद्वार

1999

16

(उत्तराखंड)

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000 दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

607905

उत्तरांचल UTTARANCHAL

-2-

4.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची से मालियत:-	रू0 39,50,000-00(उनतालीस लाख पचास हजार रूपये)
5.	वास्तविक प्रतिफल एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यसूची के अनुसार मूल्यांकन में अन्तर (Difference):-	रू0 44,35,786-00(चवालीस लाख पैंतीस हजार सात सौ छियासी रुपये)
6.	कुल वांछित स्टाम्प शुल्क:-	रू0 4,31,760-00(चार लाख इक्कतीस हजार सात सौ साठ रुपये)
7.	अनुबन्ध पत्र के समय अदा स्टाम्प शुल्क:-	रू0 3,61,500-00(तीन लाख इकसठ हजार पांच सौ रुपये)
8.	वर्तमान में अदा स्टाम्प शुल्क:-	रू0 70,260-00(सत्तर हजार दो सौ साठ रुपये)
9.	स्टाम्प शीटों की संख्या :-	21 शीट

For Mitu Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

ALE (IMM... 8,385,786.00 मालियत (स्टाम्प दिया गया) 8,38...

ALE AFTER...

रजिस्ट्रेशन फीस ... Electronic Processing Fee कुल योग शब्द लगभग

5,000.00	20.00	440.00	5,460.00

श्री/श्रीमती/कुमारी मके [redacted] (द्वारा राजेश राधा कृ0)

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री [redacted]

निवासी मके इ0 लि0खसरा नं0158 रायपुर भगवानपुर

ने आज दिनॉक 23-Jul-08 समय 3:40:52PM

कार्यालय उप निबन्धक SRO Roorkee 02

में प्रस्तुत की।

उपनिबंधक SRO Roorkee 02

लेखपत्र का निष्पादन सुन व समझकर व विकय धन/अग्रिम धन/नगद रू0 8,385,786.00
अनुसार प्राप्त करके श्रीआनन्द पाल सिंहs/o सूरजमल , मन्नाखेडी परगना मंगलौर तहसील रुड़की

स्वीकार किया।

निष्पादन श्री मके इ0लि0(द्वारा राजेश राधा कृ0)s/o पी0आर0नायर , मके इ0 लि0खसरा नं0158 रायपुर भगवानपुर

किया।

की पहचान .....

शिवपूजन राणा पुत्र श्री आनन्द पाल सिंह

निवासी मन्नाखेडी परगना मंगलौर

एस0के0शुक्ला पुत्र श्री टी0आर0शुक्ला

निवासी खसरा नं0158 रायपुर भगवानपुर

।।

उपनिबंधक SRO Roorkee 02

नियमानुसार लिए गये।

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000

दस हज़ार रुपये — RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

21 JUL 2008

10.	क्या क्रेता एवं विक्रेता के मध्य अनुबन्ध हुआ है:-	क्रेता एवं विक्रेता के मध्य विक्रीत भूमि का अनुबन्ध पत्र उपनिबन्धक कार्यालय द्वितीय रुड़की में दिनांक 11-04-2008 को निष्पादित कर बही नम्बर 1, जिल्द 286, पृष्ठ 237 से 274 में नम्बर 1660 पर दिनांक 11 अप्रैल 2008 को पंजीकृत है।
11.	भूमि क्रय करने का प्रयोजन:-	विक्रीत भूमि वर्तमान में कृषि भूमि है परन्तु औद्योगिक, प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है।
12.	मुख्य मार्ग से दूरी:-	विक्रीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग रुड़की-दिल्ली से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है तथा गांव के मुख्य मार्ग से 1किमी0 की दूरी पर है।
13.	विवरण सम्पत्ति:-	भूमि खाता संख्या 17 खसरा संख्या 405 जिसका क्षेत्रफल 0.2050 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 406 क्षेत्रफल 0.1900हैक्टेयर कुल दो खेत कुल क्षेत्रफल 0.3950हैक्टेयर, स्थित ग्राम मुण्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।

For Mirc Electronics Ltd.

क्रमांक 0521 दिनांक 23/7/07

मूल्य 10000/- रुपये

नाम श्री मैसर्स ... [illegible] लि० कं० मुख्तयार आम राजेश राठौर पुत्र ... [illegible]

निवासी ... [illegible]

को बेचा।

प्रमोद कुमार स्टाम्प ... [illegible]

लाइसेंस विक्रेता, रुड़की ... [illegible]

... र रुड़की जिला हरिद्वार ... [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs 10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

21 JUL 2008

-4-

14. वार्षिक भू-राजस्व:- रु0 15.85-00 जिसके आठ सौ गुणा से मालियत रु0 12,680/- बनती है।

15. स्टाम्प शुल्क हेतु स्पष्ट विवरण:- यह कि जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यसूची के पृष्ठ 31, क्रमांक 28 के अनुसार कृषि भूमि
की दर रु0 12,25,000-00 प्रति हैक्टेयर निर्धारित है। परन्तु भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। जिसकी दर पृष्ठ
40, क्रमांक 1 के अनुसार रु0 1000-00 प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। जिसके अनुसार विक्रीत भूमि की मालियत रु0
39,50,000-00(उनतालीस लाख पचास हजार रुपये) बनती है। परन्तु वास्तविक प्रतिफल रु0 83,85,786-00(तिरासी
लाख पिचासी हजार सात सौ छियासी रुपये) का क्रेता द्वारा विक्रेता को किया जा रहा है। परन्तु क्रेता एवं विक्रेता के मध्य
मु0 रु0 57,83,310-00(सत्तावन लाख तिरासी हजार तीन सौ दस रुपये) में अनुबन्ध पत्र पंजीकृत कराया हुआ है। परन्तु
वास्तविक प्रतिफल एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्यसूची के अनुसार मालियत में रु0 44,35,786-00(चवालीस लाख पैंतीस
हजार सात सौ छियासी रुपये) का अन्तर [illegible] है। इसलिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 74(1)/
XXVII(9) Stamp/2008 issued by Uttarakhand State Government dated 25.4.2008 के
अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची से मूल्यांकन पर 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क एवं अन्तर [illegible] पर 3.5 प्रतिशत
की दर से स्टाम्प शुल्क निम्न प्रकार अदा किया जा रहा है।

अ. वास्तविक प्रतिफल:- रु0 83,85,786-00(तिरासी लाख पिचासी हजार सात सौ छियासी रुपये)

109

109 ... 27/07

100000/- ...

मै० ... को दिया

सवाय ... विक्रेता

... (हरिद्वार) ला. न० 105/85

... जिला हरिद्वार *

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

607861

-5-

ब. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची से मालियत:- रु0 39,50,000-00(उनतालीस लाख पचास हजार रूपये) पर 7 प्रतिशत की दर से रु0 2,76,500-00(दो लाख छियत्तर हजार पाँच सौ) रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

स. अन्तर(Difference):- रु0 44,35,786-00(चवालीस लाख पैंतीस हजार सात सौ छियासी रूपये) पर 3.5 प्रतिशत की दर से रु0 1,55,260-00(एक लाख पचपन हजार दो सौ साठ रूपये) का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

द. कुल स्टाम्प शुल्क:- रु0 4,31,760-00(चार लाख इक्कतीस हजार सात सौ साठ रूपये) अपेक्षित है। परन्तु क्रेता द्वारा अनुबन्ध पत्र के पंजीकरण के समय रु0 3,61,500-00 (तीनलाख इकसठ हजार पांच सौ रूपये) का स्टाम्प शुल्क अदा किया हुआ है। इसलिये वर्तमान में रु0 70,260-00(सत्तर हजार दो साठ रूपये) का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

क्र० 177 23/2/08

धनराशि 10000 रु०

क्रे० श्री [illegible] द्वारा [illegible]

नि० [illegible]

विनोद कुमार त्यागी, स्टाम्प विक्रेता

ल०डी०, ला०नं० 45/91

[illegible] रुड़की जिला हरिद्वार [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL 607886

-6-

16. भूमि आवास एवं विकास शुल्क की सीमा से बाहर है।

17. विक्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से नहीं है।

18. विक्रीत भूमि पट्टे की भूमि नहीं है।

19. चकबन्दी चल रही है अथवा नहीं:- **नहीं**

20. क्रेता उत्तराखण्ड राज्य से बाहर की कम्पनी है, जिसने भूमि क्रय करने से पूर्व उ0प्र0(उत्तराखण्ड) ज0वि0 एवं भू0 व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(4)(3)(क) की अनुमति संख्या 414भू0क्रय/18(2)/2007-01(50)/2008 दिनांक 17-06-2008ई0 को प्राप्त कर ली है। छाया प्रति संलग्न है।

21. यह कि क्रेता विक्रीत भूमि अनुमति प्राप्त करने के बाद क्रय कर रहा है तथा उद्योग स्थापित करने के बाद नियमानुसार 70 प्रतिशत नियमित रोजगार सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करायेगा।

22. विक्रय पत्र के बाद क्रेता विक्रीत भूमि में विशेष श्रेणी का संक्रमणीय भूमिधर बना रहेगा।

पाल

23. <u>विक्रेता का नाम व पता</u> :- श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री सूरजमल निवासी ग्राम मन्नाखेड़ी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) विक्रेता कृषक है तथा खाई लेखा सं0 नहीं है। **प्रारूप 61 संलग्न है।**

आनन्द पाल सिंह

For Mirc Electronics Ltd.

2276 23%

100000/-

मर्स [illegible] लि० कं० मुम्बई द्वारा [illegible]

[illegible] पी. आर. [illegible]

रुड़की जिला हरिद्वार * (उ.खण्ड)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL

764053
21 JUL 2008
XX 2008 - 2009 ++

23. क्रेता-कम्पनी का नाम व पता- मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक विधिवत् पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओबिरा हाऊस, बी-1 एम0आई0डी0सी0 महाकाली केव्स रोड अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णन, पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड, कम्पनी का स्थाई लेखा संख्या **AAACM8055A** है।

विक्रय विलेख

यह विक्रय-विलेख आज दिनांक 23-07-2008 को स्थान रुड़की, जिला हरिद्वार में श्री आनन्द पाल सिंह पुत्र श्री सूरज मल निवासी ग्राम मन्नाखेड़ी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) (जिसको इस विलेख में विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है)।

----विक्रेता

For Merc Electronics Ltd. Uttaranchal

सं० 177 .... तिथि 23/7/07

दाम 5000 ....

नाम श्री मैसर्स .... लिमि० के मुख्तार द्वारा रविन्द्र शर्मा .... नि- रायपुर

नि० .... को बेचा

विनोद .... स्टाम्प विक्रेता

कचहरी, ...

सब रजिस्ट्रार रुड़की जिला हरिद्वार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL

764082*

21 JUL 2009

2008 - 2009

तथा

मर्क इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत एक विधिवत् पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओनिडा हाऊस, जी-1 एम0आई0डी0सी0 महाकाली केव्स रोड अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई **द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णन,** पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड (जिसको इस विलेख में क्रेता-कम्पनी कहकर सम्बोधित किया गया है) **के पक्ष में अंकित व निष्पादित किया गया।**

— क्रेता-कम्पनी

जैसा कि ग्राम मुण्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 के अर्न्तगत कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी के व्यवस्था से आच्छादित हो गया, उक्त अधिनियम की धारा-27 (1) के अर्न्तगत विधिवत राजस्व अभिलेखों का निर्माण हुआ तथा धारा 27 (2) के अर्न्तगत उक्त राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टयाँ सत्य व ठीक तथा प्रमाणित मानी जावेंगी।

और जैसा कि श्री आशा राम पुत्र श्री छेद्दू इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी, भूमिधर व अध्यासी रहे है। क्षेत्र में चकबन्दी की व्यवस्था होने पर 1397 फसली में प्रथम चकबन्दी की व्यवस्था हुयी और उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा-27 सपठित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली 1954 के नियम 97 के अर्न्तगत श्री आशा राम पुत्र श्री छेद्दू का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हुआ।

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

109

5000/-

मोहर: रुड़की. जिला हरि

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

14 JUL 2008

XX 2008 - 2009 ++

और जैसा कि 1397 फसली से पूर्व श्री आशा राम पुत्र श्री छेदू का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित रहा और उनका पुरातन खसरा संख्या-770(मि0) खसरा संख्या-771/1 (मि0), खसरा संख्या-771/2 (मि0) खसरा संख्या-772/1 (मि0), खसरा संख्या-772/2(मि0), खसरा संख्या-773/1(मि0), खसरा संख्या-773/2 (मि0) अंकित रहे और वह परिवर्तित होकर नया खसरा संख्या-405 जो इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति के नाम से पहचाने गये तथा पुरातन खसरा संख्या-770(मि0), खसरा संख्या-771/1(मि0), खसरा संख्या-771/2(मि0) अंकित रहे और वह परिवर्तित होकर नया खसरा संख्या-406 जो इस विलेख की सूची-ख में वर्णित के नाम से पहचाने गये।

और जैसा कि फसली वर्ष 1397 से पूर्व श्री आशा राम पुत्र श्री छेदू का नाम अभिलेखित था। इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति फसली वर्ष 1400-1405 में श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री आशा राम के नाम अंकित हुआ तथा इस विलेख की सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति देव पाल पुत्र श्री आशाराम के नाम अंकित हुआ।

और जैसा कि राजवीर सिंह का देहान्त हो गया है। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री राजवीर सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में, राजस्व भू-लेख अधिकारी, मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के आदेश दिनांक 03-01-1994 के द्वारा इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति परिवर्तित हुआ।

और जैसा कि इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति को श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री राजवीर सिंह ने विक्रय विलेख दिनांक 23-12-1998 द्वारा श्रीमती राजबाला धर्मपत्नी श्री देव पाल को विक्रीत कर दी, जिसका पंजीकरण कार्यालय उप-निबन्धक रुड़की में बही संख्या-1, जिल्द संख्या- 2 के पृष्ठ संख्या- 326 एडीशनल फाईल बुक संख्या-1 जिल्द संख्या- 127 के पृष्ठ संख्या- 117

आनन्दपलीवाल

For ... Authorised Signatory

292 ...... 22/5/08

...... 20 ......

सब रजिस्ट्रार रुड़की जिला हरिद्वार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

XX 2003 - 2009 ++

से 120 पर प्रपत्र संख्या-3368 पर दिनांक 23-12-1998 को पंजीकृत है। उपरोक्त विक्रय विलेख के आधार पर श्रीमती राजबाला धर्मपत्नी श्री देव पाल का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित आदेश दिनांक 11-07-2003 के द्वारा अभिलेखित हो गया।

और जैसा कि इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति श्रीमती राजबाला धर्मपत्नी श्री देव पाल ने विक्रेता श्री आनन्द पाल सिंह पुत्र श्री सूरज मल को विक्रय विलेख दिनांक 01-05-2002 के द्वारा विक्रीत कर दी, जिसका पंजीकरण कार्यालय उप-निबन्धक रुड़की में बही संख्या-1, जिल्द संख्या- 195 के पृष्ठ संख्या- 111 एडीशनल फाईल बुक संख्या-1, जिल्द संख्या- 252 के पृष्ठ संख्या- 145 से 148 पर प्रपत्र संख्या-1223 पर दिनांक 01-05-2002 को पंजीकृत है। उपरोक्त विक्रय विलेख के आधार पर प्रथम पक्ष श्री आनन्द पाल का नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवत आदेश दिनांक 11-07-2003 को अंकित हो गया।

और जैसा कि इस विलेख की सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति श्री देव पाल पुत्र श्री आशा राम ने विक्रेता श्री आनन्द पाल सिंह पुत्र श्री सूरज मल को विक्रय विलेख दिनांक 01-05-2002 के द्वारा विक्रीत कर दी, जिसका पंजीकरण कार्यालय उप-निबन्धक रुड़की में बही संख्या-1, जिल्द संख्या- 195 के पृष्ठ संख्या- 111 एडीशनल फाईल बुक संख्या-1, जिल्द संख्या- 252 के पृष्ठ संख्या- 149 से 152 पर प्रपत्र संख्या-1224 पर दिनांक 01-05-2002 को पंजीकृत है। उपरोक्त विक्रय विलेख के आधार प्रथम पक्ष श्री आनन्द पाल का नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवत आदेश दिनांक 15-06-2002 को अंकित हो गया।

और जैसा कि विक्रेता उपरोक्त विक्रय विलेखों के आधार पर इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी / भूमिधर है।

आनन्द पाल सिंह

For Mirc Electronics Ltd. Uttaranchal

Authorised Signatory

292 ... 23/7/08

281

सुरेश चन्द

रुड़की जिला हरि...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

00AA 535405

कोषाधिकारी
रुड़की
कोड संख्या 5500
14 JUL 2008
2008 - 2009

और जैसा कि क्रेता-कम्पनी ने इस विलेख की सूची-'क' व 'ख' में वर्णित सम्पति को क्रय करने हेतु श्री राजेश राधा कृष्णन पुत्र श्री पी0आर0 नायर निवासी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड खसरा संख्या-158 ग्राम भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा है तथा उनके पक्ष में प्रस्ताव दिनांक 27-12-2007 पारित कर रखा है।

और जैसा कि विक्रेता का स्वामित्व इस विलेख की सूची-क व ख मे वर्णित सम्पत्ति के विषय में पवित्र है तथा विक्रेता के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची-क व ख मे वर्णित सम्पत्ति किसी विवाद में तथा किसी न्यायालय के विवाद में गृहित नही है। सम्पत्ति स्पष्ट स्वामित्व की है। इस सम्पत्ति पर कोई भार, अधिभार, बन्धन, धरोहर व गिरवी तथा ऋण नही है। यह सम्पत्ति किसी स्थान पर बन्धक नही है। विक्रेता को इस विलेख की सूची-क व ख में वर्णित सम्पत्ति विक्रीत करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

और जैसा कि क्रेता-कम्पनी इस विलेख की सूची-क व ख में वर्णित सम्पत्ति को रू0 83,85,786-00(तिरासी लाख पिचासी हजार सात सौ छियासी रुपये) की धनराशि में क्रय करने को तैयार है और विक्रेता इस विलेख की सूची-क व ख में वर्णित सम्पत्ति को उपरोक्त धनराशि में विक्रीत करने को तैयार है।

__अतः यह विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :-__

(1) यह कि मैं उपरोक्त विक्रेता श्री आनन्द पाल सिंह पुत्र श्री सूरज मल निवासी ग्राम मल्लाखेड़ी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड), इस विक्रय-विलेख की सूची-क व ख में वर्णित सम्पत्ति को क्रेता-कम्पनी मर्क इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत एक विधिवत् पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओनिडा हाउस, जी-1 एम0आई0डी0सी0महाकाली केव्स रोड अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णन पुत्र श्री

आनन्द पाल सिंह

For Mirc Electronics Ltd.

252 — 23/7/08

20

कटनी जिला